(32)

II/निग0/अनूपपुर/भू-रा0/2018/0366

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0 सर्किट कोर्ट रीवा (म.प्र.)

1— दुर्गेन्द्र सिंह तनय ददन सिंह राठौड़

2— संतोष सिंह पिता जगत सिंह राठौड़

दोनो निवासी ग्राम सुलखारी तहसील—जैतहरी, थाना—जैतहरी, जिला—अनूपपुर (म0प्र0)

अधि0 श्री के0के0 त्रिपाठी, द्वारा पेश 11.01.18

पेशकार आफ कोर्ट राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

—————निगरानीकर्तागण

बनाम

1— रमेश कुमार पाण्डेय पिता राम बिहारी लाल पाण्डेय, निवासी ग्राम व्यंकट नगर, तहसील व थाना जैतहरी, जिला—अनूपपुर (म0प्र0)

2— म0प्र0 शासन

—————गैर निगरानीकर्तागण

निगरानी विरूद्ध आदेश श्रीमान अपर कमिश्नर शहडोल संभाग राजस्व प्रकरण क्रमांक 161/अपील/2016—17 पारित आदेश दिनांक 18.09.2017 एवं न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी जैतहरी, जिला अनूपपुर के राजस्व प्रकरण क्रमांक—294/बी—~~121~~/2016—17 मे पारित आदेश दिनांक 29.08.2017

निगरानी अंतर्गत धारा ~~50~~ 2 म0प्र0 भू राजस्व संहिता सन् 1959 ई0

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है—

1— यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से स्थिर रखे जाने योग्य नही है।

सन्तोष सिंह
दुर्गेन्द्र सिंह

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक दो/निग./अनूपपुर/भू.रा./2018/366 **जिला** अनूपपुर दुर्गेश सिंह **विरूद्ध** रमेश कुमार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27 -08-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत 2. दिनांक 09-08-2018 को आवेदक अभिभाषक श्री के.के. त्रिपाठी को सुना गया । उनके द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर कमिश्नर शहडोल संभाग शहडोल द्वारा पारित आदेश दिनांक 18-09-2017 एवं अनुविभागीय अधिकारी जैतहरी द्वारा पारित आदेश दिनांक 29-08-2017 की सत्यप्रतिलिपियों का अवलोकन किया गया । 3. अपर कमिश्नर द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण विविध मद अर्थात बी-121 में दर्ज कर तहसीलदार को जांच प्रतिवेदन की मांग कर शासकीय अभिलेखों में छेडछाड करने वाले के विरूद्ध कार्यवाही करने एवं पूर्व में निर्मित मकान एवं रहवासियों को प्रश्नाधीन भूमि आवंटित किये जाने हेतु निर्देश दिये गये थे । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत विचारण न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया । विविध कार्यवाहियों में संहिता की धारा 44 के अंतर्गत अपील का प्रावधान नहीं है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया । ऐसी स्थिति में द्वितीय अपील का प्रश्न नहीं उत्पन्न होता है । अतएव अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील, अपील की श्रेणी में न होने से अग्राह्य की जाती है । 4. अपर कमिश्नर द्वारा निकाले गये उपरोक्त निष्कर्ष विधिसगत है । जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्ट्या आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । सदस्य 27.8.18	